## घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005–

महिलाओं को घरेलू हिंसा से संरक्षण दिए जाने और उन्हें राहत व आपातकाल में संरक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 लागू किया गया। यह अधिनियम व इसके अन्तर्गत घरेलू हिंसा से संरक्षण नियम 2006 पूरे देश में एक साथ दिनांक 26 अक्टूबर 2006 से प्रभावी किये गये है। इस अधिनियम के अंतर्गत पहली बार घरेलू संबंधों और घरेलू हिंसा को स्पष्ट और परिभाषित किया गया है। बहिन, विधवा, मॉ, बेटी, अकेली अविवाहित महिला आदि को भी इस अधिनियम के अंतर्गत राहत हेतु घरेलू संबंधों में सम्मिलित किया गया है। इसके अतिरिक्त 'साझा घर' (Shared Household) को भी परिभाषित किया गया है ताकि व्यथित महिला को निवास संबंधी सुविधा दी जा सके।

## घरेलू हिंसा की परिभाषा–

इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ घरेलू हिंसा शब्द का व्यापक अर्थ लिया गया है। इसमें प्रत्यर्थी का कोई भी ऐसा कार्य, लोप या आचरण घरेलू हिंसा कहलाएगा, यदि वह व्यथित व्यक्ति (पीड़िता) के स्वास्थ्य, की सुरक्षा, जीवन, उसके शारीरिक अंगों या उसके कल्याण को नुकसान पहुंचाता है या क्षतिग्रस्त करता है या ऐसा करने का प्रयास करता है। इसमें व्यथित व्यक्ति (पीड़िता) का शारीरिक दुरूपयोग, शाब्दिक या भावनात्मक दुरूपयोग और आर्थिक दुरूपयोग शामिल है। (धारा 3–क)

राज्य सरकार द्वारा घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005 के अंतर्गत सभी उपनिदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, बाल विकास परियोजना अधिकारी व प्रचेताओं (कुल 607 अधिकारियों) को संरक्षण अधिकारी नियुक्त किया गया है। जिसका विवरण निम्नानुसार है:–

| क्रं सं | पद नाम | स्तर | संख्या |
|---|---|---|---|
| 1. | उपनिदेशक, आई.सी.डी.एस. | जिला | 33 |
| 2. | कार्यक्रम अधिकारी, महिला अधिकारिता | जिला | 33 |
| 3. | बाल विकास परियोजना अधिकारी, आई.सी.डी.एस. | परियोजना (ब्लॉक) | 304 |
| 4. | प्रचेता, महिला अधिकारिता | पंचायत समिति (ब्लॉक) | 237 |
| | **योग** | | **607** |
| 5. | संरक्षण अधिकारी | जिला | 33 पद प्रक्रियाधीन |

राज्य में अभी तक 112 गैर–शासकीय संस्थाओं को सेवाप्रदाता के रूप में पंजीकृत किया गया है तथा 13 संस्थाओं को आश्रयगृह के रूप में अधिसूचित किया गया है। राज्य में सभी सरकारी अस्पतालों, जिला अस्पतालों, सेटेलाइट अस्पतालों, उपजिला अस्पतालों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों को चिकित्सा सुविधा के रूप में अधिसूचित किया गया है।

मजिस्ट्रेट द्वारा किसी प्रकरण में परामर्शदाता नियुक्त करने हेतु जिलों में परामर्शदाताओं की सूची कार्यक्रम अधिकारी, महिला अधिकारिता एवं उपनिदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग (जिला संरक्षण अधिकारी) द्वारा तैयार की जाती है। व्यथित महिलाओं को तुरंत राहत पहुँचाने आदि के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रावधान किया गया है। प्रत्येक जिले में आवश्यकतानुसार राशि आवंटित की गई है। घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम की उपयुक्त क्रियान्विति एवं प्रबोधन की दृष्टि से जिला महिला सहायता समिति को शीर्ष संस्था बनाया गया है।

घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005 के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा 33 अतिरिक्त पद संरक्षण अधिकारियों के स्वीकृत किए गए हैं जिनकी नियुक्ति की कार्यवाही की जा रही हैं।

**व्यथित महिला किससे सम्पर्क करे –**

- संरक्षण अधिकारी से सम्पर्क कर सकती है। (संबंधित उपनिदेशक, महिला एवं बाल विकास, बाल विकास परियोजना अधिकारी एवं प्रचेता)
- सेवा प्रदाता संस्था से सम्पर्क कर सकती है।
- पुलिस स्टेशन से सम्पर्क कर सकती है।
- किसी भी सहयोगी के माध्यम से अथवा स्वयं सीधे न्यायालय में प्रार्थना पत्र दे सकती है।

**व्यथित महिला को राहत –**

- इस अधिनियम के अंतर्गत व्यथित महिला को मजिस्ट्रेट उसके संतान या संतानों की अस्थाई अभिरक्षा, घरेलू हिंसा के कारण हुई किसी क्षति के लिए प्रतिकर आदेश एवं आर्थिक सहायता के लिए आदेश दे सकते हैं। साथ ही आवश्यकता पड़ने पर 'साझा घर' में निवास के आदेश भी दिए जा सकते हैं।
- अधिनियम की धारा 33 के अंतर्गत न्यायालय द्वारा पारित संरक्षण आदेश की अनुपालना नहीं करने पर प्रत्यर्थी को एक वर्ष तक का दंड एवं बीस हजार रूपए तक का जुर्माना या दोनों का दंड दिया जा सकता है।